पत्रांक–3/एम0–12/2025सा0प्र0 13480 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर
सरकार के अपर मुख्य सचिव

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक– 24.7.2026

विषयः– सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–7329 दिनांक–25.04.2025 द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के संदर्भ में निम्नांकित निर्णय संसूचित किया गया था–

(i) संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधानों के आलोक में सचिव/विभागाध्यक्ष, राजपत्रित राज्य सेवाओं के Apex पदों अथवा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन नहीं किया जाय।

(ii) किसी सेवा/संवर्ग के अधिकतम वेतन स्तर–11 तक के पदों की ऐसी रिक्तियाँ, जिन्हें अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 में विहित प्रावधान के तहत अनिवार्य रूप से रिक्त रखा जाना है, के विरुद्ध ही सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधान के तहत संविदा नियोजन पर विचार किया जाय।

परन्तु प्रशासी विभाग द्वारा संविदा नियोजन के ऐसे प्रस्ताव अग्रसारित किये जाने के पूर्व संबंधित सेवानिवृत्त कर्मी की उपयोगिता, दक्षता एवं उनके संविदा नियोजन के औचित्य पर निश्चित रूप से विचार किया जाय तथा प्रशासनिक हित में होने पर ही सामान्य प्रशासन विभाग को अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुशंसित किया जाय।

(iii) मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से, राजपत्रित राज्य सेवाओं के Apex पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा नियोजन पर अत्यन्त ही अपरिहार्य परिस्थितियों में विचार किया जाय।

2. उपरोक्त निर्णय के आलोक में सेवा/संवर्ग के अधिकतम वेतन स्तर–11 तक की पदों की रिक्तियों के विरुद्ध संविदा नियोजन किये जाने के क्रम में अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 में विहित प्रावधान के तहत अनिवार्य रूप से रिक्त रखे जाने वालें पदों के विरुद्ध हीं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन किये जाने के बिन्दु पर समीक्षा की

2

गयी। सम्यक् विचारोपरान्त पाया गया कि परिपत्र संख्या–7329 दिनांक–25.04.2025 की कंडिका–4(ii) के तहत कार्रवाई किया जाना उचित नहीं है।

3. वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–7329 दिनांक–25.04.2025 की कंडिका–4(ii) में संसूचित निम्नांकित निर्णय को विलोपित किया जाता है–

(ii) किसी सेवा/संवर्ग के अधिकतम वेतन स्तर–11 तक के पदों की ऐसी रिक्तियाँ, जिन्हें अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 में विहित प्रावधान के तहत अनिवार्य रूप से रिक्त रखा जाना है, के विरुद्ध ही सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधान के तहत संविदा नियोजन पर विचार किया जाय।

परन्तु प्रशासी विभाग द्वारा संविदा नियोजन के ऐसे प्रस्ताव अग्रसारित किये जाने के पूर्व संबंधित सेवानिवृत्त कर्मी की उपयोगिता, दक्षता एवं उनके संविदा नियोजन के औचित्य पर निश्चित रूप से विचार किया जाय तथा प्रशासनिक हित में होने पर ही सामान्य प्रशासन विभाग को अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुशंसित किया जाय।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–7329 दिनांक–25.04.2025 की शेष कंडिका यथावत् रहेगा।

5. अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाय।

विश्वासभाज़न,

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के अपर मुख्य सचिव